राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 50/2014
श्रीमती नन्दा देवी

–अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. खनिज अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, धौलपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 21.05.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने इस अनुतोष की मांग की है कि अपीलार्थी को 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के आधार पर प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 25.01.1992 से स्वीकृत किया जाये।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से आदेश दिनांक 08.08.2005 प्रस्तुत किया गया है, जिसके आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ 25.01.1992 से दिया जा चुका है।
3. प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत आदेश दिनांक 08.08.2005 को रिकॉर्ड पर लिया जाता है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से किये गये कथन के आधार पर इस अपील का निस्तारण इस आदेश के साथ किया जाता है कि याचिका में अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का जो लाभ दिनांक 25.01.1992 से दिया गया है, उसके अनुसरण में अपीलार्थी को समस्त लाभ प्रदान किया जाए। समस्त लाभ यदि अभी तक नहीं दिया गया है तो वह लाभ इस आदेश के पारित होने के 4 माह की अवधि में अपीलार्थी को दिया जाना सुनिश्चित करें। अपीलार्थी को एरियर की राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज राशि का भुगतान भी किया जाए।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)